

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>10.1.2018</p>	<p>वकुलाय 3401 वकील अग्रार्थी जवाब हेतु अवरुध्द चाहते हैं, जो अन्तिम अवरुध्द दिया जाता है। प्यावली दिनांक 24.1.2018 को पेश हो।</p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>24.1.2018</p>	<p>वकुलाय 3401 वकील अग्रार्थी जवाब हेतु अवरुध्द चाहते हैं, जो अन्तिम अवरुध्द दिया जाता है। प्यावली दि. 30.1.2018 को पेश हो।</p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>30.1.18</p>	<p>वकुलाय 3401 वकील अग्रार्थी जवाब हेतु अवरुध्द चाहते हैं, जो पूर्व में पथरित अवरुध्द दिये जा चुके हैं। अतः एव अतिरिक्त अवरुध्द दिया जाता है। आगामी तारीख पेशी को जवाब पेश न करने की दशा में जवाब अवरुध्द रद्द किया जाकर सीधे कसब खुली जायेगी। अतः प्यावली दि. 24.2.2018 को पेश हो।</p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>02.02.2018</p>	<p>पक्षकारान उपस्थित उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत किया, जो शा0मि0 किया गया। पक्षकारान ने निवेदन किया कि दोनों की पक्षों के बीच आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है तथा प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र जरिये विद्रोल खारिज कराना चाहते हैं। इस पर उभयपक्ष को सुना गया। निष्कर्षतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 का जरिये विद्रोल खारिज किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>